भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1111

10 फरवरी, 2021 को उत्तर के लिए

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना

1111. श्री महेश पोद्दार:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में इस्पात मंत्री द्वारा घोषित की गई उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना से सरकार क्या सकारात्मक प्रभाव देखने की उम्मीद रखती है;

(ख) क्या सरकार मानती है कि इस्पात क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने से इस्पात और संबंधित निम्न स्तर के उत्पादों के छोटे उत्पादकों को लाभ मिलेगा;

(ग) उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना में भाग लेने के लिए फर्मों को कौन-कौन से उत्पाद बनाने चाहिए; और

(घ) क्या सरकार मानती है कि इस कदम से घरेलू इस्पात बाजार में जारी कीमत संबंधी संकट को दूर करने में मदद मिलेगी?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) से (घ): सरकार ने इस्पात क्षेत्र में पूँजीगत निवेश को आकर्षित करके, रोजगार सृजन और प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देकर देश के भीतर 'विशिष्ट इस्पात' (स्पेशियल्टी स्टील) के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु 6322 करोड़ रुपये के 5-वर्षीय वित्तीय परिव्यय के साथ उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत 'विशिष्ट इस्पात' के समावेशन को अनुमोदित किया है। इससे घरेलू माँग को पूरा करने में देश को आत्मनिर्भर बनाकर देश में 'विशिष्ट इस्पात' की उपलब्धता बढ़ाने में सहायता मिलेगी। किसी नियंत्रणमुक्त, खुले बाजार परिदृश्य में घरेलू इस्पात की कीमत माँग और आपूर्ति के बाजार संबंधी कारकों, कच्चे माल की कीमतों के रुझानों द्वारा निर्धारित होती है और इस्पात की वैश्विक व्यापारिक दशाओं द्वारा प्रभावित भी होती है।

****